STATIC GK SET - 13

1. Article 249 of the Constitution of India deals with/भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 सम्बन्धित है - legislative powers of the Parliament with respect to the subjects in the State List./राज्य सूची के विषयों के सम्बन्ध में संसद की विधायी शक्तियों से

   According to Article 249 of the Constitution, if the Rajya Sabha proposes by a majority of two-thirds of its members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest, then the Parliament can make laws on any subject given in the State List.
   संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार, यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव करें कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक या हितकर है तो संसद राज्य सूची में दिये गए किसी विषय पर कानून बना सकती है।

2. In order to give effect to international agreements in the Indian Constitution, Parliament can make laws on the subject of the State List/भारतीय सविधान में अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है-Article 253/अनुच्छेद 253

Center-State Legislative Relations/केंद्र-राज्य के विधायी संबंध-
Articles 245 to 255 in Part-XI of the Constitution deal with the Centre-State legislative relations. Apart from this, some other paragraphs are also related to this topic./संविधान के भाग- XI में अनुच्छेद 245 से 255 तक केन्द्र-राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अनुच्छेद भी इस विषय से संबंधित हैं।

In the second 'State List', the state government has the power to make laws, but in case of conflict, the central law will have priority over the state law. There are 61 subjects (originally 66 subjects) in this list, such as local government, fisheries, public order etc./द्वितीय 'राज्य सूची' में राज्य सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति है लेकिन मतभेद की स्थिति में राज्य कानून के ऊपर केंद्रीय कानून को वरीयता मिलेगी। इस सूची में 61 विषय (मूलतः 66 विषय) हैं, जैसे- स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, सार्वजनिक व्यवस्था आदि।

The third 'concurrent list' where there should be no conflict between the laws of the center and the state, otherwise the laws of the center will be effective. At present it has 52 subjects (originally 47), such as criminal law procedure, civil procedure, marriage and divorce, labor welfare, electricity etc./तीसरी 'समवर्ती सूची' जहाँ केंद्र व राज्य के कानूनों में विरोध नहीं होना चाहिये अन्यथा केंद्र के कानून प्रभावी होंगे। वर्तमान में इसमें 52 विषय (मूलतः 47) हैं, जैसे- आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, श्रम कल्याण, बिजली आदि।

Under the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976, five subjects have been included in the Concurrent List from the State List. They are education, forest, measurement, protection of wild animals and birds, administration of justice./42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के तहत पाँच विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। वे हैं- शिक्षा, वन, नाप-तौल, वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन।

According to Article 252, the Legislatures of two or more States may, by passing a resolution, request the Parliament to make laws with respect to any subject in the State List. Such laws can also be extended to other states provided the legislatures of the states concerned pass resolutions to that effect./अनुच्छेद 252 के अनुसार, दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध कर सकते हैं कि वे राज्य सूची के किसी विषय के बारे में विधियाँ बनाएँ। ऐसी विधियों का विस्तार अन्य राज्यों पर भी किया जा सकता है बशर्ते संबद्ध राज्यों के विधानमंडल इस आशय के संकल्प पारित करें।

3. <u>Statement in the Constitution of India that no tax can be levied or collected except by authority of law-/भारतीय संविधान में यह कथन कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है- Article 265/अनुच्छेद 265</u>

Article 265 - Taxes not to be imposed except by authority of law. No tax shall be levied or collected except by authority of law. No tax shall be levied or collected except by authority of law.
अनुच्छेद 265 - कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपित न किया जाना। कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा। कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा।

4. Provision of All India Services under the Constitution of India/भारतीय संविधान के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया - अनुच्छेद 312

According to Article 312 of the Constitution of India, Parliament is empowered to create one or more All India Services (including an All India Judicial Service) for the Union and the States. Recruitment in all these All India Services is done by the Union Public Service Commission (UPSC)./भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 (Article 312) के अनुसार, संसद को संघ और राज्यों के लिये एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएंँ (एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित) बनाने का अधिकार प्राप्त है। इन सभी अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission- UPSC) द्वारा की जाती है।

5. Reservation provision for the Anglo-Indian community in the Lok Sabha has been made in the Constitution/लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण प्रावधान संविधान में किया गया है ___ अनुच्छेद 331

Article-331 empowers the President to nominate two representatives of the said community if the Anglo-Indian community is not adequately represented in the Lok Sabha. Article-332 of the constitution makes provision for reservation for SC/ST class in state assemblies while Article-333 makes provision for reservation for Anglo-Indian community.
अनुच्छेद-331 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि लोकसभा में यदि आंग्ल-भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उक्त समुदाय के दो प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद-332 राज्य की विधानसभाओं में SC/ST वर्ग के लिये जबकि अनुच्छेद-333 आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिये आरक्षण का प्रावधान करता है।

6. In the Indian Constitution, provision has been made for the representation of the Anglo-Indian community in the State Legislative Assemblies/भारतीय संविधान में राज्य विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है- अनुच्छेद 333

Article 333 empowers a Governor to nominate any Anglo-Indian to the Legislative Assembly of that State if he so desires./अनुच्छेद 333 में किसी राज्यपाल को यह अधिकार दिया जाता है, कि यदि वह चाहे तो अपनी मर्जी से उस राज्य की विधान सभा में किसी आंग्ल - भारतीय का नाम निर्देशित कर सकता है।

Article 331 deals with the nomination of two members of the Anglo-Indian community to the Lok Sabha by the President. Articles 331 and 333 are now visible in the Constitution of India, but after the 104th amendment of the Indian Constitution, their existence has ended./अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के दो सदस्यों को नामित करने के बारे में हैं। भारत के संविधान में अब अनुच्छेद 331 तथा 333 दिखाई तो देते हैं लेकिंग भारतीय संविधान के 104वें संशोधन के बाद इनका अस्तित्व ख़त्म हो गया है।

7. The Constitution of India provides that every State shall endeavor to provide adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage of education-/भारतीय संविधान में यह व्यवस्था कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवसथार करने का प्रयास करेगा, की गयी है- Article 350 (a)/अनुच्छेद 350 (क)

Article-350 - Any person can apply for his problems to any officer of the union or state in the official language used at that time. Apart from this, it has been said in Article-350 (A) that arrangements should be made for linguistic minorities to provide education in mother tongue at the primary level.
अनुच्छेद-350 - कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानिओं के लिए संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी को उस समय इस्तेमाल होने वाली राजभाषा में आवेदन दे सकता है. इसके अलावा अनुच्छेद-350 (क) में कहा गया है कि भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर में मातृ भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए.

8. Declaration of emergency in the Indian Constitution is related to/भारतीय संविधान में आपात स्थिति की घोषणा सम्बन्धित है- Article 352/अनुच्छेद 352 .

Under Article 352, the President can declare a national emergency when the security of India or any part thereof is threatened by war or external aggression or armed rebellion.
अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब भारत की सुरक्षा या उसके एक हिस्से को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा होता है।

In the original constitution, instead of 'armed rebellion', the word 'internal disturbance' was mentioned./मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' की जगह 'आंतरिक अशांति' शब्द का उल्लेख था।
By the 44th Constitutional Amendment Act, 1972, the term 'internal disturbance' was replaced by the term 'armed rebellion'./44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1972 द्वारा 'आंतरिक अशांति' को हटाकर उसके स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द किया गया।

9. Indian Constitution can be amended under the provisions/भारतीय संविधान में प्रावधानों के अन्तर्गत संशोधन किया जा सकता है- Article 368/अनुच्छेद 368

Article 368 - A bill for the amendment of the constitution can be introduced in either house. When that bill is passed by a majority (i.e. more than 50 percent) of the total membership of each House and by a majority of at least two-thirds of the members present and voting therein.
अनुच्छेद 368 - संविधान के संशोधन के लिए विधेयक किसी भी सदन में आरम्भ किया जा सकता है । जब वह विधेयक प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा (अर्थात् 50 प्रतिशत से अधिक) तथा उसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है ।

10. Specific provision related to different states is mentioned in the Indian Constitution/भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से सम्बन्धित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है- अनुच्छेद 371

Article 371: According to the Indian Constitution, some states of the country have been given limited autonomy under Article 371. Such states include

some states of the Northeast including Nagaland. Article 371 (A-J) Special provisions have been made for the states of Nagaland, Assam, Manipur, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh etc.
आर्टिकल 371 : भारतीय संविधान के अनुसार देश के कुछ राज्यों को अनुच्छेद 371 (Article 371) के तहत सीमित स्वायत्तता दी गई है। ऐसे राज्यों में नगालैंड समेत पूर्वोत्तर के कुछ राज्य शामिल हैं। आर्टिकल 371 (A-J) नगालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

11. Special provision has been made under Article 371 of the Constitution/ संविधान के अनुच्छेद 371 के अन्तर्गत विशेष प्रावधान किया गया है- for the states of Maharashtra and Gujarat./महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य के लिए

Article 371: According to the Indian Constitution, some states of the country have been given limited autonomy under Article 371. Such states include some states of the Northeast including Nagaland. Article 371 (A-J) Special provisions have been made for the states of Nagaland, Assam, Manipur, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh etc.
आर्टिकल 371 : भारतीय संविधान के अनुसार देश के कुछ राज्यों को अनुच्छेद 371 (Article 371) के तहत सीमित स्वायत्तता दी गई है। ऐसे राज्यों में नगालैंड समेत पूर्वोत्तर के कुछ राज्य शामिल हैं। आर्टिकल 371 (A-J) नगालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

इन राज्यों को मिली हैं विशेष सुविधाएं	
371	महाराष्ट्र और गुजरात
371ए	नागालैंड
371 बी	असम
371 सी	मणिपुर
371 डी और ई	आंध्र प्रदेश
371 एफ	सिक्किम
371 जी	मिजोरम
371 एच	अरुणाचल प्रदेश
371 आई	गोवा
371 जे	कर्नाटक

12. <u>The Constitution of India has given certain powers, special provision has been made regarding the Finance Bills/भारतीय संविधान ने अवशिए अधिकारों</u>

को दिया है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबन्ध किया गया है - to the federal government/संघीय सरकार को

A Money Bill is defined by Article 110 of the Constitution, as a draft law containing only provisions which relate to all or any of the matters listed therein. Imposition, abolition, exemption, alteration or regulation of any tax. Regulation of borrowing of money by the Central Government. Appropriation of moneys from the Consolidated Fund of India.
एक धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 द्वारा परिभाषित किया गया है, एक मसौदा कानून के रूप में जिसमें केवल प्रावधान हैं जो उसमें सूचीबद्ध सभी या किसी भी मामले से संबंधित हैं। किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन। केंद्र सरकार द्वारा पैसे उधार लेने का विनियमन। भारत की संचित निधि से धन का विनियोग।

13. Special provision has been made in respect of Finance Bills/वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है - अनुच्छेद 117

अनुच्छेद 117 - Special provision regarding financial bills
Provided that, or by reason that it provides for the imposition, abolition, exemption, alteration or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes.
Article 117- वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान
प्रदान किया गया है, या इस कारण से कि यह स्थानीय उद्देश्यों के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण या निकाय द्वारा किसी भी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन का प्रावधान करता है।

14. Union-State relations have been mentioned in the Constitution of India/भारत के संविधान में संघ-राज्य सम्बन्धों का उल्लेख किया गया है- भाग XI (ग्यारह)

भारतीय संविधान के भाग | Parts of Indian Constitution List

भाग 1	संघ और उसके क्षेत्र	अनुच्छेद 1 से 4
भाग 2	नागरिकता का उल्लेख	अनुच्छेद 5 से 11

भाग 3	मौलिक अधिकारों का प्रावधान	अनुच्छेद 12 से 35
भाग 4	राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत	अनुच्छेद 36 से 51
भाग 4 (A)	मौलिक कर्तव्य	अनुच्छेद 51 (A)
भाग 5	संघ संबंधित प्रावधान	अनुच्छेद 52 से 151
भाग 6	राज्य सरकार संबंधित	अनुच्छेद 152 से 237
भाग 7	पहली अनुसूची के भाग "ख" के राज्य	अनुच्छेद 238
भाग 8	संघ राज्य क्षेत्र	अनुच्छेद 239 से 242
भाग 9	पंचायत	अनुच्छेद 243 (A से O)
भाग 9 (A)	नगर पालिका	अनुच्छेद 243 (P से ZG)
भाग 10	अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र	अनुच्छेद 244, 244 (A)
भाग 11	संघ और राज्यों के बीच संबंध	अनुच्छेद 245 से 263
भाग 12	वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद	अनुच्छेद 264 से 300 (A)
भाग 13	भारत के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम	अनुच्छेद 301 से 307
भाग 14	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं	अनुच्छेद 308 से 323
भाग 14 (A)	अधिकरण (Tribunals)	अनुच्छेद 323 (A-B)
भाग 15	निर्वाचन	अनुच्छेद 324 से 329
भाग 16	कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध	अनुच्छेद 330 से 342
भाग 17	राजभाषा का उल्लेख	अनुच्छेद 343 से 351
भाग 18	आपातकाल संबंधित उपबंध	अनुच्छेद 352 से 360
भाग 19	प्रकीर्ण	अनुच्छेद 361 से 367
भाग 20	संविधान संशोधन संबंधित प्रावधान	अनुच्छेद 368
भाग 21	अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध	अनुच्छेद 369 से 392

भाग 22	संक्षिप्त नामों का वर्णन, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन	अनुच्छेद 393 से 395

15. Central-State Legislative Relations are given in the Constitution of India/भारतीय संविधान में केन्द्र-राज्य विधायी सम्बन्ध दिये गये हैं- Part XI/भाग XI

16. The subject of 'Pilgrimage Tours to Places Outside India' is enumerated-/भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्रायें' का विषय प्रगणित है--Union List/ संघ सूची

Topics in the Union List At present, there are a total of 100 subjects in this list, mainly in which defence, foreign affairs, wars and treaties, naturalization and citizenship, movement of foreigners, railways, ports, airways, postal Telephone and wireless, currency creation, banks, insurance, mines and minerals, etc.
संघ सूची में विषय (Topics In Union List) वर्तमान में इस सूची में कुल 100 विषय हैं जिनमें प्रमुख रूप से रक्षा, वैदेशिक मामले, युद्ध व सन्धि, देशीकरण व नागरिकता, विदेशियों का आना-जाना, रेल, बन्दरगाह, हवाई मार्ग, डाकतार, टेलीफोन व बेतार, मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, खानें व खनिज, आदि।

17. It is provided in the constitution that the Indian Constitution shall be called the Constitution of India/संविधान में यह उपबन्धित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा-Article 393/अनुच्छेद 393

Article 393. Short title.—This Constitution may be called the Constitution of India.
अनुच्छेद 393. संक्षिप्त नाम--इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है।

18. According to the Constitution, the office of a member of either House of Parliament can be declared vacant by the House on the ground of his absence from all the sittings of the House for 60 days without the leave of the House/संविधान में संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है- Article 101(4)/अनुच्छेद 101 (4)

Article 101 -/अनुच्छेद 101 -

इस अनुच्छेद मे स्थानों का रिक्त होना बताया गया है ।

(1) According to this no person is a member of both the Houses of the Parliament. and Parliament shall by law provide for the vacating the seat of a person who is elected a member of both Houses.
(1)इसके अनुसार कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है। और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन भी लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध करेगी।

(2) A person cannot be a member of both Parliament and either House of the Legislature of a State. And even if a person is elected a member of both the House of Parliament and the Legislature of a State. then after the expiration of such period as may be specified by rules made by the President, the seat of such person in Parliament shall become vacant if he has not already resigned his seat in the Legislature of the State.
(2) कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में दोनों का सदस्य नहीं हो सकता है। और यदि कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में दोनों का सदस्य चुन भी लिया जाता है । तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए ऐसे मे संसद में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने राज्य के विधान-मंडल में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है।

(3) If a member of either House of Parliament who
(a) becomes subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) or clause (2) of section 102. or else
(b) by writing under his hand addressed to the Chairman or Speaker, resigns his seat. And his resignation is accepted by the Chairman or Speaker. So in such a situation his place will be vacant.
(3) यदि संसद के किसी सदन का सदस्य जो कि
(क) अनुच्छेद 102 के खंड (1) या खंड(2) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है। या फिर

(ख) सभापति या अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है। और उसका त्यागपत्र सभापति या अध्यक्ष के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा ।

19. Under the Constitution, the President is bound to accept the opinion of the Election Commission regarding the disqualification of a member of Parliament/संविधान के अन्तर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के सम्बन्ध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य है- अनुच्छेद 103

As per Article 103, if any question arises relating to the disqualifications of the members, the question shall be referred to the President for his decision. Before taking a decision on the question, the President shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act in accordance with such opinion.
अनुच्छेद 103 के अनुसार, सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न उठता है तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। प्रश्न पर विनिश्चय करने के पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।

20. Under the Constitution of India, the annual budget is presented/भारत के संविधान के अन्तर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है- अनुच्छेद 112

According to Article 112 of the Constitution, the Union Budget for a year is called the Annual Financial Statement (AFS). It is a statement of the estimated receipts and expenditure of the government in a financial year (which begins on 1 April in the current year and ends on 31 March of the next year)./संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement- AFS) कहा जाता है। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है (जो चालू वर्ष में 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है)।

21. The Constitution of India empowers the Supreme Court to review the judgment delivered by it/भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाये गये निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है- अनुच्छेद 137

Article 137 gives the Supreme Court the power to review and rectify its decisions. The President and the other members of the Union Public Service Commission can be removed by the President only after the Supreme Court investigates and certifies them.
अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा सुधारने की शक्ति देता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जाँच करने एवं उन्हें प्रमाणित करने के उपरांत ही राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को पदच्युत किया जा सकता है।

22. Anti-defection laws have been kept in the Indian Constitution/भारतीय संविधान में दल-बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है- दसवीं अनुसूची

Tenth Schedule: It was added to the Constitution by the 52nd Amendment, 1985. It mentions the provisions related to defection. Eleventh Schedule: This schedule has been added to the Constitution by the 73rd Constitutional Amendment (1993). In this, 29 subjects have been provided for Panchayati Raj institutions to work.
दसवीं अनुसूची: यह संविधान में 52वें संशोधन, 1985 के द्वारा जोड़ी गई है. इसमें दल-बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है. ग्यारहवीं अनुसूची: यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गई है. इसमें पंचायतीराज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं.

23. The schedule of the Indian Constitution in which there is a provision regarding disqualification of elected members on the ground of defection/भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें निर्वाचित सदस्यों के दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबन्ध है- Tenth/दसवीं

24. The article of the Indian Constitution by which untouchability has been abolished/भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अन्त कर दिया गया है- Article-17/अनुच्छेद-17

Article 17 states that "untouchability" is abolished and its practice in any form is prohibited. The enforcement of any disability arising out of "untouchability" shall be an offense punishable in accordance with law.
अनुच्छेद 17 कहता है कि "अस्पृश्यता" को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। "अस्पृश्यता" से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।

25. There is a provision of Uniform Civil Code in the Constitution/एक समान सिविल संहिता का प्रावधान संविधान में है-Article 44/अनुच्छेद 44

Article 44 of the constitution states that the state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.
संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा

Article-44 is one of the Directive Principles of State Policy mentioned in the Constitution.
अनुच्छेद-44, संविधान में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में से एक है।

Article 44 aims to strengthen the concept of a "secular democratic republic" as enshrined in the Preamble of the Constitution.
अनुच्छेद 44 का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में निहित "धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" की अवधारणा को मजबूत करना है।

26. The foreign policy of India in the Constitution of India is related to भारतीय संविधान में भारत की विदेश नीति से सम्बन्धित है- Article 51/अनुच्छेद 51

Article 51 - Promotion of international peace and security. Anuched 51(c) promoting respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized peoples with each other; and to encourage the settlement of international disputes by arbitration Part IVA Fundamental Duties
अनुच्छेद 51 - अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। Anuched 51(सी) एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति

सम्मान को बढ़ावा देना; और मध्यस्थता भाग IVA मौलिक कर्तव्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना

27. The eligibility for re-election of the President has been given/राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के लिये पात्रता दी गयी है- Article 57/अनुच्छेद 57

Article 56 provides that the President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office. The period of five years will not be counted from the date of election but from the date of office visit. Should be [B] The President can be removed from office by the process of impeachment by Article 61.

अनुच्छेद 56 में उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद-ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। पाँच वर्ष की अवधि निर्वाचन की तिथि से नहीं अपितु उनके पद ग्रहण(office visit) करने की तिथि से गिनी जाएगी। होना चाहिए। [ख] अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग लगाने की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है।

28. The procedure for the removal of the President of India by impeachment is described/भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया वर्णित है- Article 61/अनुच्छेद 61

According to Article 61 of the Indian Constitution, the President is impeached for violating the Constitution./भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है।

The motion of impeachment can be passed in either House of the Parliament, it is a quasi-judicial process of the Parliament against the President.

महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है यह संसद की राष्ट्रपति के विरुद्ध चलाई गई एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है।

29. The provision in the Indian Constitution that in case of equality of votes, the vote of the Speaker of the Lok Sabha shall be decisive and shall be exercised by him, it is provided/भारतीय संविधान में यह उपबंध कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा, यह उपबंधित है- Article 100/अनुच्छेद 100

Article 98: - Secretariat of Parliament
अनुच्छेद 98 :- संसद का सचिवालय
Article 99:- Oath or affirmation by the member
अनुच्छेद 99 :- सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
Article 100:- Power and quorum of the Houses to function despite voting vacancies in resources
अनुच्छेद 100 :- संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति

30. Money Bill has been defined in the Constitution of India/भारतीय संविधान में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है- Article 110/अनुच्छेद 110

A Money Bill is defined by Article 110 of the Constitution/एक धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 द्वारा परिभाषित किया गया है

It is up to the Lok Sabha to accept or disapprove any or all of the recommendations of the Rajya Sabha in respect of a Money Bill. If the Lok Sabha accepts any recommendation of the Rajya Sabha, the Money Bill is deemed to have been passed by both the Houses of Parliament with the amendments recommended by the Rajya Sabha and accepted by the Lok Sabha./धन विधेयक के संबंध में राज्य सभा की किसी सिफारिश अथवा सभी सिफारिशों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना लोक सभा पर निर्भर करता है। यदि लोक सभा, राज्य सभा की किसी सिफारिश को स्वीकृत करती है तो धन विधेयक राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों और लोक सभा द्वारा स्वीकृत रूप में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित समझा जाता है।

31. <u>In the Constitution of India, the investigation of the proceedings of Parliament by the courts is prohibited/भारतीय संविधान में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जाँच करना प्रतिबंधित किया गया है-अनुच्छेद 122</u>

Article 122 - Courts not to inquire into proceedings of Parliament/अनुच्छेद 122 - न्यायालयों का संसद की कार्यवाही की जांच न करना

No officer or member of Parliament in whom powers are vested by or under this Constitution for the conduct of procedure or business in Parliament or for the maintenance of order shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise thereof.
संसद का कोई भी अधिकारी या सदस्य, जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके तहत संसद में प्रक्रिया या कार्य के संचालन या व्यवस्था बनाए रखने के लिए शक्तियां निहित हैं, अभ्यास के संबंध में किसी भी अदालत के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं होगा।

32. Corrective petition can be filed in Supreme Court in India/भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है- अनुच्छेद 142

33. Under which article the executive power of the Union is vested in the President/द्वारा राज्यों में विधान परिषद् के सृजन हेतु अपनाया जाता है- अनुच्छेद 169 में वर्णित प्रक्रिया को

34. Under which article the executive power of the Union is vested in the President/किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है - अनुच्छेद 53

35. Under which article is the power of the President to issue ordinances?/राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? - अनुच्छेद 123

36. The maximum duration of an ordinance issued by the President is?/राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है?- 6 माह

37. Who appoints the Attorney General of India, the Auditor and the Governor of the state?/भारत के महान्यायवादी, लेखा परीक्षक और राज्य के राज्य पाल की नियुक्ति कौन करता है?- राष्ट्रपति

38. Who is the unanimously elected President of India?/सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति है? - Neelam Sanjiv Reddy/नीलम संजीव रेड्डी

39. State where Common Civil Code is applicable/वह राज्य जहाँ सामान्य सिविल कोड लागू है - Goa

40. How many years is the Mayor's term?/मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष होता है?- 5 years/5 वर्ष

Fundamental duties / मौलिक कर्तव्य

वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है, जो निम्न प्रकार हैं:-

1. प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा किस संविधान का पालन करें तथा संविधान के आदर्शों राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करें |
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखना चाहिए तथा उनका पालन करना चाहिए |
3. भारत के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत की एकता, अखंडता और प्रभुता की रक्षा करने में सहायता करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें
4. भारत के नागरिकों का यह भी कर्तव्य होगा, कि वह देश की रक्षा करें |
5. सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि भारत के सभी लोगों में समरसता की भावना, भाईचारे की भावना का विकास करें |
6. सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वह भारत की सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसको अपनाएं, उसका परिरक्षण करें
7. सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें |
8. नागरिकों का कर्तव्य है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें |
9. सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें |
10. नागरिकों का कर्तव्य होगा कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने की कोशिश करें |
11. सभी माता-पिता और संरक्षण का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु शिक्षा प्रदान करें |

1976 में जब मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तब इनकी संख्या 10 थी लेकिन 11 मौलिक कर्तव्य को 86 वें संविधान संशोधन (2002 में)द्वारा जोड़ा गया

<u>MCQ</u>

Q1. The Union government describe under which article of part V

भाग V के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार वर्णन करती है -

1. 52 to 153
2. 52 to160
3. 52 to 151
4. 52 to 150

Part V of the Constitution (The Union) under Chapter I (The Executive) lists out the qualification, election and impeachment of the President of India.

The President of India is the head of state of the Republic of India. The President is the formal head of the executive, legislature and judiciary of India and is also the commander-in-chief of the Indian Armed Forces.

अध्याय I (कार्यकारी) के तहत संविधान (संघ) के भाग V में भारत के राष्ट्रपति की योग्यता, चुनाव और महाभियोग की सूची है।

भारत का राष्ट्रपति भारत गणराज्य के राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है और भारतीय सशस्त्र बलों का कमांडर-इन-चीफ भी होता है।

Q2. President of India must have completed the age of 35 years and qualified for the election as a member of Lok Sabha. This is mentioned under which article of the following article?

राष्ट्रपति बनने के लिए, एक उम्मीदवार को 35 **वर्ष की आयु पूरी करनी होगी और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। यह निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उल्लिखित है**?

1. Article 52/ **अनुच्छेद** 52
2. Article 54 / **अनुच्छेद** 54
3. Article 56 / **अनुच्छेद** 56
4. Article 58 / **अनुच्छेद** 58

Article 52 - The President of India/भारत के राष्ट्रपति

Article 54 - Election of President/राष्ट्रपति का चुनाव

Article 56 - Term of office of President/राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल

Article 58 - Qualifications for election as President/राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता

Q3. Which among the following article speaks about impeachment of the President of India?

निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताता है?

1. Article 60 /अनुच्छेद 60
2. Article 61/अनुच्छेद 61
3. Article 62/अनुच्छेद 62
4. Article 63/अनुच्छेद 63

Article 60 - Oath and affirmation by the President /राष्ट्रपति द्वारा शपथ और पुष्टि

Article 63 - Vice President/उपराष्ट्रपति

Q4. President shall have the power to grant, reprieves, respites or remission of punishment of any person convicted of any offence. It is stated under which article?

राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के दोषी किसी भी व्यक्ति को दंडित करने, छूट देने, राहत देने या छूट देने की शक्ति होगी। यह किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है?

1. Article 65 /अनुच्छेद 65
2. Article 72 /अनुच्छेद 72
3. Article 74 /अनुच्छेद 74
4. Article 76/अनुच्छेद 76

Article 65 /अनुच्छेद 65 - Vice President act as President/उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है

Article 74 /अनुच्छेद 74 - Council of Ministers to aid and advise the President / राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद

Article 76/अनुच्छेद 76 - Attorney General of India/भारत के महान्यायवादी

Q5. Article 111 related to -

अनुच्छेद 111 से संबंधित -

1. Session of Parliament /संसद का सत्र
2. Assent to bills / पारित विधेयकों का आश्वासन
3. Annual Financial Statement /वार्षिक वित्तीय विवरण
4. Definition of Money /धन की परिभाषा

Session of Parliament /संसद का सत्र - Article 85

Annual Financial Statement /वार्षिक वित्तीय विवरण - Article 112

Definition of Money bill /धन विधेयक की परिभाषा - Article 110

Q6. Original jurisdiction of a court is the power to hear a case for the first time. The Original Jurisdiction of Supreme Court is mentioned under which article?

किसी न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार क्षेत्र पहली बार किसी मामले की सुनवाई करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है?

1. Article 123/अनुच्छेद 123
2. Article 124/अनुच्छेद 124
3. Article 131/अनुच्छेद 131
4. Article 132/अनुच्छेद 132

Article 123/अनुच्छेद 123 - President to promulgate Ordinances to amend certain laws/राष्ट्रपति अध्यादेश एलान करने के लिए कुछ क़ानून को संशोधित करने

Article 124/अनुच्छेद 124 - Establishment of Supreme Court/सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना।

Article 132/अनुच्छेद 132 - Appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from High Courts in certain cases/ कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार

Q7. According to which article President may seek the opinion of the Supreme Court on any question of law?

किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति कानून के किसी भी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकते हैं?

1. Article 133/अनुच्छेद 133
2. Article 143/अनुच्छेद 143
3. Article 134/अनुच्छेद 134
4. None of these/इनमें से कोई नहीं

Article 143 of the Indian Constitution confers upon the Supreme Court advisory jurisdiction. The President may seek the opinion of the Supreme Court on any question of law or fact of public importance on which he thinks it expedient to obtain such an opinion.

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार को प्रदान करता है। राष्ट्रपति कानून के किसी भी प्रश्न या सार्वजनिक महत्व के तथ्य पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकता है, जिस पर वह इस तरह की राय प्राप्त करना समीचीन समझता है।

Q8. Which of the following is not true about CAG?

CAG के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?

1. Chief Guardian of Public purse/सार्वजनिक पर्स के मुख्य संरक्षक
2. Article 148 - 152 deals with the CAG/अनुच्छेद 148 - 152 सीएजी के साथ संबंधित है
3. Rajiv Mehrishi is current CAG/राजीव मेहरिशी वर्तमान सीएजी हैं
4. Term is 6 yrs or up to 65 yrs of age /अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है

Chapter V under Part V of the Indian Consitution deals with the Comptroller and Auditor-General of India (CAG). CAG is responsible for auditing the accounts of the Union and State governments and public sector organizations, and for maintaining the accounts of

State governments. The reports of the CAG are taken into consideration by the Public Accounts Committees. CAG enjoys the same status as a judge of Supreme Court of India. CAG comes cover Arrticle 148 to 151.

भारतीय संविधान के भाग V के तहत अध्याय V भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) से संबंधित है। सीएजी केंद्र और राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के खातों की लेखा परीक्षा और राज्य सरकारों के खातों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। CAG की रिपोर्ट पर लोक लेखा समितियाँ विचार करती हैं। CAG को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान दर्जा प्राप्त है। सीएजी अनुच्छेद 148 से 151 तक कवर करता है।

Q9. The Governor of a State shall be appointed by the President by warrant. This is stated under which article?

किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है?

1. Article 153/अनुच्छेद 153
2. Article 154/अनुच्छेद 154
3. Article 155/अनुच्छेद 155
4. Article 159/अनुच्छेद 159

Article 153/अनुच्छेद 153 - Governor of the state/राज्य के राज्यपाल

Article 154/अनुच्छेद 154 - Executive power of the state/राज्य की कार्यकारी शक्ति

Article 159/अनुच्छेद 159 - Oath and affirmation of Governor/शपथ और राज्यपाल की पुष्टि

Q10. Governor of states also have pardoning power just like President. It is stated under which article?

राज्यों के राज्यपाल के पास भी राष्ट्रपति की तरह ही माफ़ करने की ताकत होती है।यह किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है?

1. Article 156/अनुच्छेद 156
2. Article 161/अनुच्छेद 161

3. Article 165/अनुच्छेद 165
4. Article 163/अनुच्छेद 163

Article 156/अनुच्छेद 156 - Term of office of Governor

Article 165/अनुच्छेद 165 - Advocate General for the state

Article 163/अनुच्छेद 163 - Council of ministers to aid and advise the Governor/राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद

Q11. Article 167 is stated about the -

अनुच्छेद 167 में किसके बारे में बताया गया है -

1. Duties of CM /सीएम की ड्यूटी
2. Appointment of CM /सीएम की नियुक्ति
3. Abolition or creation of Legislative Councils in states/राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण
4. Composition of Legislative Assemblies/विधान सभाओं की संरचना

Duties of Chief Minister as respects the furnishing of information to Governor, etc It shall be the duty of the Chief Minister of each State

राज्यपाल आदि को सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा

Q12. Which of the following is correct match ?

निम्नलिखित में से कौन सही मिलान है?

1. Article 200/अनुच्छेद 200 - Assent to bills/बिलों के लिए आश्वासन
2. Article 213/अनुच्छेद 213 - Promulgate ordinance/एलान अध्यादेश
3. Article 217/अनुच्छेद 217 - Consulted by the President/राष्ट्रपति द्वारा परामर्श
4. All the above/उपर्युक्त सभी

Q13. Under which two articles "Appropriation Bill" is mentioned?

किस अनुच्छेद के तहत "विनियोग विधेयक" का उल्लेख किया जाता है?

1. Article 114 and Article 199
2. Article 114 and Article 202
3. Article 114 and Article 204
4. Article 114 and Article 205

Article 199 - Definition of Money bill/धन विधेयक की परिभाषा

Article 202 - Annual Financial Statement /वार्षिक वित्तीय विवरण

Q14. Article 32 stated that Supreme Court has power to issue certain writs. Under which article High Court having the same power as Supreme Court?

अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ रिट्स जारी करने की शक्ति है। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के समान शक्ति है?

1. Article 214 /अनुच्छेद 214
2. Article 222/अनुच्छेद 222
3. Article 226/अनुच्छेद 226
4. Article 217/अनुच्छेद 217

Article 214 /अनुच्छेद 214 - High court of the state / राज्य का उच्च न्यायालय

Article 222/अनुच्छेद 222 - Transfer of Judge/न्यायाधीश का स्थानांतरण

Article 217/अनुच्छेद 217- Appointment /नियुक्ति

Q15. Article 243 stated about Panchayati Raj Institution. Which of the following committee is responsible for three tier system in Panchayat System?

अनुच्छेद 243 में पंचायती राज संस्था के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत प्रणाली में तीन स्तरीय प्रणाली के लिए जिम्मेदार है?

1. L.M.Singhvi Committee/एल.एम.सिंघवी समिति
2. Balwant Rai Mehta /बलवंत राय मेहता
3. Ashok Mehta Committee /अशोक मेहता समिति
4. G.V.K. Rao Committee/जी. के वी राव समिति

The Balwant Rai Mehta Committee recommended 3- tier structure consisting of

1. Zilla Parishad at the District Level
2. Panchayat Samiti at the Block Level
3. Gram Panchayat at the Village Level.

Ashok Mehta Committee appointed in December 1977 by Janata Party Government in 1978 submitted its report stating replacement of 3-tier system by a 2-tier system consisting of Mandal Panchayats at the base and Zila Parishad at the top.

बलवंत राय मेहता समिति ने तीन स्तरीय संरचना की सिफारिश की जिसमें

1. जिला स्तर पर जिला परिषद
2. प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति
3. ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत।

1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा दिसंबर 1977 में नियुक्त अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें आधार पर मंडल पंचायतों और शीर्ष पर जिला परिषद से मिलकर 2-स्तरीय प्रणाली द्वारा 3-स्तरीय प्रणाली के प्रतिस्थापन की बात कही गई।

Q16. Article 239 to 241 in Part VIII deals with the Union Territories, under which constitutional amendment a special Status given to the UT of Delhi?

भाग VIII में अनुच्छेद 239 से 241 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली के संघ शासित प्रदेश को विशेष दर्जा दिया गया है?

1. 85th
2. 69th
3. 45th
4. 42nd

As from the date of commencement of the Constitution (Sixty-ninth Amendment) Act, 1991 the Union Territory of Delhi shall be called the National Capital Territory) and the administrator thereof appointed under article 239 shall be designated as the Lieutenant Governor.

संविधान (उनसठवां संशोधन) अधिनियम, 1991 के प्रारंभ होने की तिथि से केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाएगा) और अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में नामित किया जाएगा।

Q17. Which article of Indian constitution says that "Parliament has the power to make laws on any matter in the state list if a proclamation of emergency is in operation"?

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि "संसद के पास राज्य सूची में किसी भी मामले पर कानून बनाने की शक्ति है यदि आपातकाल की घोषणा हो रही है?

1. Article 256/अनुच्छेद 256
2. Article 249/अनुच्छेद 249
3. Article 251/अनुच्छेद 251
4. Article 250/अनुच्छेद 250

Article 250 in The Constitution Of India 1949 - Power of Parliament to legislate with respect to any matter in the State List if a Proclamation of Emergency is in operation

भारत के संविधान में अनुच्छेद 250, 1949 - राज्य सूची में किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति यदि आपातकाल की उद्घोषणा चल रही है

Q18. Karnataka, Telangana, Andra Pradesh, Maharashtra having the Inter-state water dispute over Krishna river. Which article is related adjudication of disputes relating to waters of inter-state rivers or river valleys?

कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में कृष्णा नदी पर अंतर-राज्य जल विवाद है। अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों का संबंध किस अनुच्छेद से है?

1. Article 249 /अनुच्छेद 249

2. Article 262 /अनुच्छेद 262
3. Article 263 /अनुच्छेद 263
4. Article 265/अनुच्छेद 265

Article 262

Adjudication of disputes relating to waters of inter-State rivers or river valleys: Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of, in any inter-State river or river valley.

अनुच्छेद 262

अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों का न्यायनिर्णयन: संसद किसी भी अंतर्राज्यीय नदी या नदी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन का प्रावधान कर सकती है। घाटी।

Q19. The country's Parliament was authorised by the Constitution to set up a contingency fund to deal with emergency situations. This fund set up under which article?

देश की संसद को संविधान द्वारा आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए आकस्मिक निधि स्थापित करने के लिए अधिकृत किया गया था। यह फंड किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है?

1. 265
2. 266
3. 267
4. 268

The Constitution of India authorized the parliament to establish a contingency fund of India. The Contingency Fund of India is established under Article 267 of the Indian Constitution. It is in the nature of an imprest (money maintained for a specific purpose).

भारत के संविधान ने संसद को भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए अधिकृत किया। भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत की गई है। यह अग्रदाय (एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखा गया धन) की प्रकृति में है।

Q20. Which article has the provision that the union government will provide grants-in-aid to state government?

किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि संघ सरकार राज्य सरकार को अनुदान सहायता प्रदान करेगी?

1. Article 275/अनुच्छेद 275
2. Article 276/अनुच्छेद 248
3. Article 277/अनुच्छेद 145
4. Article 278/अनुच्छेद 365

Article 275 provides for the payment of such sums as Parliament may by law provide as grants-in aid to such States as Parliament may determine to be in need of assistance.

अनुच्छेद 275 ऐसी राशियों के भुगतान का प्रावधान करता है जो संसद कानून द्वारा ऐसे राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में प्रदान कर सकती है जिन्हें संसद सहायता की आवश्यकता के रूप में निर्धारित कर सकती है।

Q21. This Commission is constituted by President of India every fifth year under the article of 280.

यह आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर पांचवें वर्ष 280 अनुच्छेद के तहत गठित किया जाता है।

1. UPSC and SPSC
2. Finance Commission
3. NCSC
4. NCST

- UPSC and SPSC – Article 315 to 323
- NCSC - Article-338
- NCST - Article-338 A

Q22. Which of the following statement is not true about Election Commission?

चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

1. Article 324 deals with Election Commission of India/अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है
2. Conduct election for President, Loksabha, Panchayat/राष्ट्रपति, लोकसभा, पंचायत के लिए चुनाव का संचालन करना
3. Sunil Arora is 23rd ECI /सुनील अरोड़ा 23 वें ईसीआई हैं
4. Term is 6 yrs or up to 65 yrs of age /अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है

The body of administers elections to the Lok Sabha, Rajya Sabha, State Legislative Assemblies, State Legislative Councils and the offices of the President and Vice President of the country.

लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभाओं, राज्य विधान परिषदों और देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों को प्रशासित करने वाली संस्था।

Q23. The National Emergency in India declared by the President of India due to the external aggression or armed revolt through

भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई

1. Article 352/अनुच्छेद352
2. Article 356/अनुच्छेद356
3. Article 360/अनुच्छेद360
4. Article 367/अनुच्छेद367

Article 352 of the Indian Constitution talks about the national emergency. National emergency is imposed whereby there is a grave threat to the security of India or any of its territories due to war, external aggression or armed rebellion. Such emergency shall be imposed by the president on the basis of a written request by the council of ministers headed by the Prime Minister.

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है जिससे युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भी क्षेत्र की सुरक्षा को गंभीर खतरा होता है। ऐसा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के लिखित अनुरोध के आधार पर लगाया जाएगा।

Q24. Which of the following statement is not true about the special status under Article 371?

अनुच्छेद 371 के तहत विशेष स्टेटस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

1. Article/ अनुच्छेद 371 A - Nagaland/नागालैंड
2. Article/ अनुच्छेद 371 G - Mizoram/मिजोरम
3. Article/ अनुच्छेद 371 B - Assam/असम
4. Article/ अनुच्छेद 371 F - Arunachal Pradesh/अरुणाचल प्रदेश

Article 371 F Special provisions with respect to the State of Sikkim

अनुच्छेद 371 एफ सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान

Q25. Citizens of India got legal right property through which of the following amendments?

भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से किस संशोधन के माध्यम से कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ?

1. 23rd
2. 42nd
3. 44th
4. 73rd

The 44th Amendment of 1978 removed the right to property from the list of fundamental rights. A new provision, Article 300-A, was added to the constitution, which provided that "no person shall be deprived of his property save by authority of law".

1978 के 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। संविधान में एक नया प्रावधान, अनुच्छेद 300-ए जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान था कि "कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा"।

Q26. Which amendment of the constitution is related to reorganization of states on a linguistic basis?

संविधान का कौन सा संशोधन भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है?

1. 1st
2. 7th
3. 10th
4. 15th

The 7th Amendment of Indian Constitution was needed to implement the recommendations of the States Reorganisation Commission regarding the reorganization of the states on a linguistic basis.

भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए भारतीय संविधान के 7वें संशोधन की आवश्यकता थी।

Q27. Which of the following Constitutional Amendment is related to Right to Education Bill ?

निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार विधेयक से संबंधित है?

1. 86th
2. 90th
3. 91st
4. 97th

The Constitution (Eighty-sixth Amendment) Act, 2002 inserted Article 21-A in the Constitution of India to provide free and compulsory education of all children in the age group of six to fourteen years as a Fundamental Right in such a manner as the State may, by law, determine.

संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 ने भारत के संविधान में छह से चौदह वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 21-ए को इस तरह से शामिल किया जैसे कि राज्य कानून द्वारा, निर्धारित कर सकता है।

Q28. Which among the following languages was included in the eighth schedule by Constitution (21st) amendment Bill on 10 April 1967?

10 अप्रैल 1967 को संविधान (21 वें) संशोधन विधेयक द्वारा आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया था?

1. Assamese/असमिया
2. Sindhi/सिंधी
3. Gujarati/गुजराती
4. Konkani/कोंकणी

The Eighth Schedule to the Constitution originally included 14 languages. The 71st Amendment, enacted in 1992, included three more languages, i.e. Konkani, Meitei (Manipuri) and Nepali.

संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। 1992 में अधिनियमित 71वें संशोधन में तीन और भाषाएं शामिल थीं, जैसे कोंकणी, मैतेई (मणिपुरी) और नेपाली।

Q29. Which among the following is also called as lengthiest amendment to Indian Constitution?

निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में सबसे लंबा संशोधन भी कहा जाता है?

1. 24th
2. 30th
3. 40th
4. 42nd

Constitution (42nd) Amendment Act, 1976 was the lengthiest amendment that brought the most widespread changes to the Constitution in its history. It is also called the Mini-Constitution and Constitution of Indira Gandhi. The 42nd Amendment is regarded as the most controversial constitutional amendment in history.

संविधान (42वां) संशोधन अधिनियम, 1976 सबसे लंबा संशोधन था जिसने संविधान के इतिहास में सबसे व्यापक परिवर्तन लाया। इसे इंदिरा गांधी का मिनी-संविधान और संविधान भी कहा जाता है। 42वें संशोधन को इतिहास का सबसे विवादास्पद संवैधानिक संशोधन माना जाता है।

Q30. Under which article constitution, gives power to amend?

किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन की शक्ति देता है?

1. Article 366/अनुच्छेद 366
2. Article 368 /अनुच्छेद 368
3. Article 365 /अनुच्छेद 365
4. Article 369/अनुच्छेद 369

The majority view upheld the power of judicial review of constitutional amendments. They maintained that clauses (4) and (5) of Article 368 conferred unlimited power on Parliament to amend the Constitution.

बहुमत के दृष्टिकोण ने संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 368 के खंड (4) और (5) ने संविधान में संशोधन करने के लिए संसद को असीमित शक्ति प्रदान की।

भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद

- अनुच्छेद 1 :- संघ का नाम और राज्य क्षेत्र
- अनुच्छेद 2 :- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
- अनुच्छेद 3 :- राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे परिवर्तन
- अनुच्छेद 4 :- पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां
- अनुच्छेद 5 :- संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
- अनुच्छेद 6 :- भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता
- अनुच्छेद 7 :-पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता
- अनुच्छेद 8 :- भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता
- अनुच्छेद 9 :- विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना
- अनुच्छेद 10 :- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
- अनुच्छेद 11 :- संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन
- अनुच्छेद 12 :- राज्य की परिभाषा
- अनुच्छेद 13 :- मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां
- अनुच्छेद 14 :- विधि के समक्ष समानता

- अनुच्छेद 15 :- धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशेध
- अनुच्छेद 16 :- लोक नियोजन में अवसर की समानता
- अनुच्छेद 17 :- अस्पृश्यता का अंत
- अनुच्छेद 18 :- उपाधीयों का अंत
- अनुच्छेद 19 :- वाक् की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 20 :- अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण\
- अनुच्छेद 21 :-प्राण और दैहिक स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 21 क :- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार
- अनुच्छेद 22 :– कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से सरंक्षण
- अनुच्छेद 23 :- मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम
- अनुच्छेद 24 :- कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत
- अनुच्छेद 25 :- धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता\
- अनुच्छेद 26 :-धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 29 :- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
- अनुच्छेद 30 :- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
- अनुच्छेद 32 :- अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार\
- अनुच्छेद 36 :- परिभाषा
- अनुच्छेद 40 :- ग्राम पंचायतों का संगठन
- अनुच्छेद 48 :- कृषि और पशुपालन संगठन
- अनुच्छेद 48 क :- पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
- अनुच्छेद 49 :- राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
- अनुच्छेद 50 :- कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रथक्करण
- अनुच्छेद 51 :- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
- अनुच्छेद 51 क :- मूल कर्तव्य
- अनुच्छेद 52 :- भारत का राष्ट्रपति
- अनुच्छेद 53 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति
- अनुच्छेद 54 :- राष्ट्रपति का निर्वाचन
- अनुच्छेद 55 :- राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीती
- अनुच्छेद 56 :- राष्ट्रपति की पदावधि
- अनुच्छेद 57 :- पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
- अनुच्छेद 58 :- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ताए
- अनुच्छेद 59 :- राष्ट्रपति पद के लिए शर्ते
- अनुच्छेद 60 :- राष्ट्रपति की शपथ
- अनुच्छेद 61 :- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
- अनुच्छेद 62 :- राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां
- अनुच्छेद 63 :- भारत का उपराष्ट्रपति
- अनुच्छेद 64 :- उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना

- अनुच्छेद 65 :- राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य
- अनुच्छेद 66 :- उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन
- अनुच्छेद 67 :- उपराष्ट्रपति की पदावधि
- अनुच्छेद 68 :- उप राष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन
- अनुच्छेद 69 :- उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ
- अनुच्छेद 70 :- अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन
- अनुच्छेद 71. :- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय
- अनुच्छेद 72 :-क्षमादान की शक्ति
- अनुच्छेद 73 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
- अनुच्छेद 74 :- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
- अनुच्छेद 75 :- मंत्रियों के बारे में उपबंध
- अनुच्छेद 76 :- भारत का महान्यायवादी
- अनुच्छेद 77 :- भारत सरकार के कार्य का संचालन
- अनुच्छेद 78 :- राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य
- अनुच्छेद 79 :- संसद का गठन
- अनुच्छेद 80 :- राज्य सभा की सरंचना
- अनुच्छेद 81 :- लोकसभा की संरचना
- अनुच्छेद 83 :- संसद के सदनो की अवधि
- अनुच्छेद 84 :-संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता
- अनुच्छेद 85 :- संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन
- अनुच्छेद 87 :- राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण
- अनुच्छेद 88 :- सदनों के बारे में मंत्रियों और महानयायवादी अधिकार
- अनुच्छेद 89 :-राज्यसभा का सभापति और उपसभापति
- अनुच्छेद 90 :- उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना
- अनुच्छेद 91 :-सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति
- अनुच्छेद 92 :- सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना
- अनुच्छेद 93 :- लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
- अनुच्छेद 94 :- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना
- अनुच्छेद 95 :- अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियां
- अनुच्छेद 96 :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना
- अनुच्छेद 97 :- सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष,उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते
- अनुच्छेद 98 :- संसद का सविचालय
- अनुच्छेद 99 :- सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- अनुच्छेद 100 :- संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
- अनुच्छेद 108 :- कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

- अनुच्छेद 109 :- धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया
- अनुच्छेद 110 :- धन विधायक की परिभाषा
- अनुच्छेद 111 :- विधेयकों पर अनुमति
- अनुच्छेद 112 :- वार्षिक वित्तीय विवरण
- अनुच्छेद 118 :- प्रक्रिया के नियम
- अनुच्छेद 120 :- संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा
- अनुच्छेद 123 :- संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति
- अनुच्छेद 124 :- उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन
- अनुच्छेद 125 :- न्यायाधीशों का वेतन
- अनुच्छेद 126 :- कार्य कार्य मुख्य न्याय मूर्ति की नियुक्ति
- अनुच्छेद 127 :- तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति
- अनुच्छेद 128 :- सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
- अनुच्छेद 129 :- उच्चतम न्यायालय का अभिलेख नयायालय होना
- अनुच्छेद 130 :- उच्चतम न्यायालय का स्थान
- अनुच्छेद 131 :- उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता
- अनुच्छेद 137 :- निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन
- अनुच्छेद 143 :- उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
- अनुच्छेद144 :-सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता
- अनुच्छेद 148 :- भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक
- अनुच्छेद 149 :- नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तिया
- अनुच्छेद 150 :- संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप
- अनुच्छेद 153 :- राज्यों के राज्यपाल
- अनुच्छेद 154 :- राज्य की कार्यपालिका शक्ति
- अनुच्छेद 155 :- राज्यपाल की नियुक्ति
- अनुच्छेद 156 :- राज्यपाल की पदावधि
- अनुच्छेद 157 :- राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएँ
- अनुच्छेद 158 :- राज्यपाल के पद के लिए शर्तें
- अनुच्छेद 159 :- राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- अनुच्छेद 163 :- राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद
- अनुच्छेद 164 :- मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध
- अनुच्छेद 165 :- राज्य का महाधिवक्ता
- अनुच्छेद 166 :- राज्य सरकार का संचालन
- अनुच्छेद 167 :- राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य
- अनुच्छेद 168 :- राज्य के विधान मंडल का गठन
- अनुच्छेद 170 :- विधानसभाओं की संरचना
- अनुच्छेद 171 :- विधान परिषद की संरचना
- अनुच्छेद 172 :- राज्यों के विधानमंडल कि अवधी

- अनुच्छेद 176 :- राज्यपाल का विशेष अभिभाषण
- अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार
- अनुच्छेद 178 :- विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
- अनुच्छेद 179 :- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना
- अनुच्छेद 180 :- अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति
- अनुच्छेद 181 :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पिठासिन ना होना
- अनुच्छेद 182 :- विधान परिषद का सभापति और उपसभापति
- अनुच्छेद 183 :- सभापति और उपासभापति का पद रिक्त होना पद त्याग या पद से हटाया जाना
- अनुच्छेद 184 :- सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति
- अनुच्छेद 185 :- संभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन ना होना
- अनुच्छेद 186 :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते
- अनुच्छेद 187 :- राज्य के विधान मंडल का सविचाल.
- अनुच्छेद 188 :- सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- अनुच्छेद 189 :- सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
- अनुच्छेद 199 :- धन विदेश की परिभाषा
- अनुच्छेद 200 :- विधायकों पर अनुमति
- अनुच्छेद 202 :- वार्षिक वित्तीय विवरण
- अनुच्छेद 213 :- विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति
- अनुच्छेद 214 :- राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
- अनुच्छेद 215 :- उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना
- अनुच्छेद 216 :- उच्च न्यायालय का गठन
- अनुच्छेद 217 :- उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तें
- अनुच्छेद 221 :- न्यायाधीशों का वेतन
- अनुच्छेद 222 :- एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण
- अनुच्छेद 223 :- कार्यकारी मुख्य न्याय मूर्ति के नियुक्ति
- अनुच्छेद 224 :- अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
- अनुच्छेद 226 :- कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति
- अनुच्छेद 231 :- दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना
- अनुच्छेद 233 :- जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
- अनुच्छेद 241 :- संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च-न्यायालय
- अनुच्छेद 243 :- पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां
- अनुच्छेद 244 :- अनुसूचित क्षेत्रो व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन
- अनुच्छेद 248 :- अवशिष्ट विधाई शक्तियां
- अनुच्छेद 252 :- दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति

- अनुच्छेद 254 :- संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति
- अनुच्छेद 256 :- राज्यों की और संघ की बाध्यता
- अनुच्छेद 257 :- कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण
- अनुच्छेद 262 :- अंतर्राज्यक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय
- अनुच्छेद 263 :- अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन
- अनुच्छेद 266 :- संचित निधी
- अनुच्छेद 267 :- आकस्मिकता निधि
- अनुच्छेद 269 :- संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौपे जाने वाले कर
- अनुच्छेद 270 :- संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर
- अनुच्छेद 280 :- वित्त आयोग
- अनुच्छेद 281 :- वित्त आयोग की सिफारिशे
- अनुच्छेद 292 :- भारत सरकार द्वारा उधार लेना
- अनुच्छेद 293 :- राज्य द्वारा उधार लेना
- अनुच्छेद 300 क :- संपत्ति का अधिकार
- अनुच्छेद 301 :- व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 309 :- राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों
- अनुच्छेद 310 :- संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि
- अनुच्छेद 313 :- संक्रमण कालीन उपबंध
- अनुच्छेद 315 :- संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग
- अनुच्छेद 316 :- सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि
- अनुच्छेद 317 :- लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना
- अनुच्छेद 320 :- लोकसेवा आयोग के कृत्य
- अनुच्छेद 323 क :- प्रशासनिक अधिकरण
- अनुच्छेद 323 ख :- अन्य विषयों के लिए अधिकरण
- अनुच्छेद 324 :- निर्वाचनो के अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना
- अनुच्छेद 329 :- निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन
- अनुच्छेद 330 :– लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये स्थानो का आरणण
- अनुच्छेद 331 :- लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
- अनुच्छेद 332 :- राज्य के विधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
- अनुच्छेद 333 :- राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
- अनुच्छेद 343 :- संघ की परिभाषा
- अनुच्छेद 344 :- राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति
- अनुच्छेद 350 क :- प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं
- अनुच्छेद 351 :- हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश

- अनुच्छेद 352 :- आपात की उदघोषणा का प्रभाव
- अनुच्छेद 356 :- राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध
- अनुच्छेद 360 :- वित्तीय आपात के बारे में उपबंध
- अनुच्छेद 368 :- सविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया
- अनुच्छेद 377 :- भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध
- अनुच्छेद 378 :- लोक सेवा आयोग के बारे

ARTICLE 371 – SPECIAL PROVISION TO STATES

Article 371 **Maharashtra and Gujarat**	Governors of the states of Maharashtra and Gujarat are given special responsibilities to set up development boards in regions such as Vidarbha, Marathwada, Kutchh etc.
Article 371A - Nagaland **(13th Amendment Act, 1962),**	Inserted after a 16-point agreement between the Centre and the Naga People's Convention in 1960, which led to the creation of Nagaland in 1963. Parliament cannot legislate in matters of Naga religion or social practices, Naga customary law and procedure, administration of civil and criminal justice involving decisions according to Naga customary law, and ownership and transfer of land without concurrence of the state Assembly.
Article 371B - Assam **(22nd Amendment Act, 1969),**	According to the special provision under Article 371B, the president may provide for the Constitution and functions of a committee of Legislative Assembly of the state consisting of members elected from the tribal areas of Assam.
Article 371C- Manipur **(27th Amendment Act, 1971),**	The special provision under Article 371C in the case of Manipur is similar to 371B for Assam. Here, too, the president may provide for the Constitution and functions of a committee of Legislative Assembly of the state, but consisting of members elected from the hill areas of Manipur. The governor must submit an annual report to the president regarding the administration of hill areas as well.
Article 371D - Andhra Pradesh and Telangana **(32nd Amendment Act, 1973**	which was added to the Constitution in 1974, provides equitable opportunities and facilities for the people of the state and safeguards their rights in matters of employment and education. The state government may organise civil posts or direct recruitment to posts in local cadre as required.
Article 371E- Andhra Pradesh	the Parliament may by law provide for the establishment of a

	University in Andhra Pradesh.
Article 371F - Sikkim **(36th Amendment Act, 1975),**	The members of the Legislative Assembly of Sikkim shall elect the representative of Sikkim in the House of the People. To protect the rights and interests of various sections of the population of Sikkim, Parliament may provide for the number of seats in the Assembly, which may be filled only by candidates from those sections.
Article 371G - Mizoram **(53rd Amendment Act, 1986),**	The Legislative Assembly of the state of Mizoram must consist of not less than 40 members. In addition, following the same provisions as Nagaland, an act of Parliament would not apply to Mizoram in matters relating to religious or social practices of Mizo, Mizo customary law and procedure, administration of civil or criminal justice involving decisions according to Mizo customary law, ownership and transfer of land and its resources.
Article 371H- Arunachal Pradesh (55th Amendment Act, 1986),	The Legislative Assembly of the state of Mizoram must consist of not less than 30 members. The governor will have special responsibility with respect to law and order in the state.
Article 371J - Karnataka **(98th Amendment Act, 2012),**	grants special status to six backward districts of Hyderabad-Karnataka region. The special provision requires that a separate development board be established for these regions (similar to Maharashtra and Gujarat) and also ensures local reservation in education and government jobs.
Article 371-I	The Legislative Assembly of the state of Goa must consist of not less than 30 members